FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम हाकमदीन**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर **15/157/2022 दा0दि0 23.05.2022**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10.10.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी फरीद अहमद पुत्र समसुदीन निवासी हरिजन बस्ती झिरात का रास्ता जिला टोंक जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन पिकअप रजि0 सं0 आर.जे. 32 जीसी 7789 धारा 5, 6, 8, 9 आर.बी.एक्ट के तहत थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी थाना गोविन्दगढ़ ने अपने पत्रांक 2133 दि0 10.10.2022 के द्वारा निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन पिकअप रजि0 सं0 आर.जे. 32 जीसी 7789 को सुपुर्दगी पर दिया जाता है, तो मुकामी पुलिस को कोई एतराज नहीं है। वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 सं0 आर.जे. 32 जीसी 7789 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/– (पांच लाख रूपये मात्र/–) तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें, तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 17.10.2022 को पेश हों। **जिला कलक्टर** **अलवर**	

14/10/22
पत्रावली पेश हुई ... उज्र। अनु० पीठासीन ... कार्य में व्यस्त है। पत्रावली ... [illegible]
दिनांक..........................को पेश हो।
14/10/22
रीडर

14/10/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निर्धारित मापदंड के [illegible] मुख्यालय पर [illegible] पर। तहसीलदार [illegible] पत्रावली [illegible]। एस.एम.ओ., [illegible] के बाबत मुद्दों के संबंध में अवकाश जारी हो। पत्रावली [illegible] कुमार [illegible] बाद तामील दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)